दिनांक 30.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 52/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारियों का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 30.06.2025 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी श्री आदित्य मिश्रा पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपात सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ एवं डॉ0 विपिन कुमार मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा सेवाकाल के दौरान उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए उनके एवं उनके परिवार के सुख, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी।

कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक/चेयरमैन यूपीएसएसएससी, श्री एस0एन0 साबत जी, पुलिस महानिदेशक श्रीमती रेणुका मिश्रा, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड श्री बी0के0मौर्य, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा, पुलिस महानिदेशक ईओडब्लू श्रीमती नीरा रावत, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे श्री प्रकाश डी द्वारा अपने संबोधन में श्री आदित्य मिश्रा जी एवं डॉ0 विपिन मिश्रा जी के सेवाकाल से सम्बन्धित संस्मरणो को साझा किया गया।

श्री आदित्य मिश्रा जी द्वारा अपने सम्बोधन में पुलिस परिवार, उ0प्र0 पुलिस के अपने बैचमेट एवं कनिष्ठो का आभार व्यक्त किया गया।

डॉ0 विपिन कुमार मिश्रा जी द्वारा अपने सम्बोधन में पुलिस परिवार का आभार व्यक्त करते हुये सेवाकाल के दौरान के अपने अनुभवों को साझा किया गया।

श्री आदित्य मिश्रा जी का जन्म 30 जून 1965 को पटना (बिहार) में हुआ था। वर्ष 1989 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, पुलिस अधीक्षक(नगर) आगरा, पुलिस अधीक्षक, जनपद ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी, पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस

मुख्यालय इलाहाबाद, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, उप प्रधानाचार्य पीटीसी–II मुरादाबाद, सेनानायक, 42वीं वाहिनी पीएसी इलाहाबाद, चतुर्थ वाहिनी पीएसी इलाहाबाद एवं 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1999 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2007 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2007 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना लखनऊ, एसआईटी लखनऊ, तकनीकी सेवायें लखनऊ, पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, झांसी परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर, बरेली एवं आगरा के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2010 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक(लोक शिकायत) डीजीपी मुख्यालय लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक(सीआई) अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त रहते हुये पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2016 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक(कार्मिक), उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक, आईटेक्स यूपी–100 लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं से पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2025 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपात सेवायें, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से आज अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री आदित्य मिश्रा जी निष्ठावान, कर्मठ एवं सौम्य स्वभाव के सुयोग्य अधिकारी रहे हैं, जिनका 34 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है। स्वतन्त्रता दिवस 2008 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2014 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं स्वतंत्रता दिवस 2018 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर) से सम्मानित किया गया है।

डॉ0 विपिन कुमार मिश्रा जी का जन्म 01 जुलाई 1965 को जनपद कुशीनगर में हुआ था। वर्ष 1990 से जून 2000 तक जिला कमाण्डेन्ट एवं मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगाड्र्स के पद पर नियुक्त रहे। जुलाई 2000 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में आये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद लखनऊ, मथुरा, कानपुर देहात, आगरा, एटा, कानपुर नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक विशेष जाँच लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2009 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद कानपुर नगर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, महाराजगंज, ललितपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक(अपराध) लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2014 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त सेनानायक, 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा, 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी, पुलिस अधीक्षक, जनपद हरदोई, अम्बेडकरनगर, मिर्जापुर, जौनपुर, बहराइच, सुलतानपुर, पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना वाराणसी के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2022 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा, पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी अनुभाग वाराणसी एवं अपर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2025 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना लखनऊ के पद नियुक्त हुये, जहाँ से आज अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

डॉ0 विपिन कुमार मिश्रा जी निष्ठावान, लगनशील एवं मृदुभाषी अधिकारी रहे हैं, जिनका 35 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है। स्वतन्त्रता दिवस 2018 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर), स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) एवं स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक पॉवर कॉरपोरेशन, पुलिस महानिदेशक सिविल डिफेन्स, पुलिस महानिदेशक टेलीकॉम, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष जॉच, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात, अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जी.आर.पी

मेरठ जोन
जी.आर.पी

GRIT & RESOLVE
UTTAR PRADESH POLICE
INITIATIVES

दिनांक 30.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 53/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एसटीएफः जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू प्रतापगढ़ से गिरफ्तार।

दिनांकः 30–06–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना पटटी, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

गुफरान उर्फ छंगू पुत्र आबाद अली उर्फ औलाद निवासी खमपुर, थाना दिलीपपुर, प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

कलियना नहर पुलिया थाना क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 30–06–2025 समय करीब 11:40 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज टीम द्वारा थाना पटटी, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1),

351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित एवं 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू कलियना नहर पुलिया थाना क्षेत्र पट्टी के पास मौजूद है, जो कहीं जाने की फिराक में है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण साजित अली, प्रभन्जन पाण्डेय, अजय सिंह यादव, व मुख्य आरक्षी चालक राम लखन पाल की टीम थाना क्षेत्र पट्टी पहुँची तथा मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 17–06–2025 को थाना क्षेत्र पट्टी में इखलाक व अन्य के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट आदि की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में वादी श्री अल्ताफ अहमद द्वारा थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था, जिसके विरूद्ध पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसकी जानकारी होने वह इधर–उधर लुक छिपकर रहने लगा और गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं बाहर भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू उपरोक्त को थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त गुफरान उर्फ छंगू उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	737/2018	147/286/506 भादवि	को0 नगर	प्रतापगढ़
2	245/2020	392/286 भादवि	कोहड़ौर	प्रतापगढ़
3	368/2020	147/148/323/504/506 भादवि	कन्धई	प्रतापगढ़

4	759/2020	379 भादवि	को0 नगर	प्रतापगढ़
5	169/2021	307/393/504 भादवि	कोहड़ौर	प्रतापगढ़
6	310/2021	120बी/302/307/34 भादवि	कन्धई	प्रतापगढ़
7	393/2021	147/148/149/286/307 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
8	84/2022	3/25 आर्म्स एक्ट	कन्धई	प्रतापगढ़
9	333/2022	2/3 यू0पी0 गैगेंस्टर एक्ट	दिलीपपुर	प्रतापगढ़
10	258/2023	307/286 भादवि	अन्तू	प्रतापगढ़
11	179/2025	191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट	पट्टी	प्रतापगढ़

एसटीएफः जनपद चन्दौली के बहुचर्चित डकैती काण्ड के अभियोग में वांछित व 25,000/-रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह गिरफ्तार।

दिनांक : 30-06-2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना बलुआ, जनपद चन्दौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 : 232/2024 धारा- 310(2)/311/317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित एवं 25,000/-रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह पुत्र हर्षवर्धन सिंह निवासी ग्राम छभवां थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

बरामदगी का विवरण :-

01. 01 अदद मोबाइल फोन

02. नकद 240 रू0

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

गंगापुल से बलुआ तिराहे आने वाली सड़क पर हनुमान मन्दिर वाले खड़न्जा सड़क मोड़ पर थाना क्षेत्र बलुआ जनपद चन्दौली दिनांकः 30-06-2025, समय 02:30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज टीम द्वारा थाना बलुआ, जनपद चन्दौली में पंजीकृत मु0अ0सं0 : 232/2024 धारा– 310(2)/311/317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित एवं 25,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह गंगापुल से बलुआ तिराहे की तरफ आने वाली सड़क पर हनुमान मन्दिर वाले खडन्जा सड़क मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं जाने की फिराक में है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर विश्वास कर उपनिरीक्षक श्री गुलजार सिंह, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, पंकज तिवारी, प्रवीण जायसवाल व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम थाना क्षेत्र बलुआ पहुॅची तथा मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह उपरोक्त ने पूंछताछ में बताया कि वह मूलरूप से ग्राम छभवां थाना शाहगंज जनपद जौनपुर का रहने वाला है, जिसका लूट/डकैती की घटना को अन्जाम देने का एक संगठित गिरोह है, जो अपने अन्य साथीगण के साथ मिलकर घटना को अन्जाम दिया करता है। दिनांक 21.11.2024 को दौलतपुर नहर पुलिया बलुआ क्षेत्र में वह अपने अन्य साथीगण विकास सिंह, अभिषेक सिंह, उर्फ टिन्कू सिंह, रामू गुप्ता व अभय सिंह के साथ मिलकर अभिषेक सिंह की गाड़ी पर ईंट व राड से हमला करते हुए फायरिंग की गयी तथा उसकी लाइसेंसी पिस्टल, बैग व पैसे छीनकर भाग गया था, उसके द्वारा पैसे व अन्य सामानों को आपस में बॉट लिया

गया था। उक्त घटना के बाद से ही वह इधर–उधर लुक छिपकर रहने लगा, जिसके अन्य साथीगण की पूर्व में गिरफ्तारी व बरामदगी होने के उपरान्त ही वह स्वयं की गिरफ्तारी से बचने के लिए जनपद जौनपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर छिपकर रहने लगा। आज भी वह अपने साथी के यहॉ छिपने एवं मुकदमें में पैरवी करने के लिए आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह उपरोक्त को थाना बलुआ जनपद चन्दौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0:232/2024 धारा– 310(2)/311/317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में थाना बलुआ जनपद चन्दौली में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	991/2020	147/148/149/307/323/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट	कर्नलगंज	प्रयागराज
2	584/2021	147/323/504/506 भादवि	कर्नलगंज	प्रयागराज
3	232/2024	310(2)/311/317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट	बलुआ	चन्दौली

एस0टी0एफ0–टक चालकों की हत्या करके ट्रक सहित सामान को लूटने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का सरगना तथा जनपद कानपुर नगर के 04 करोड़ रूपये के निकिल प्लेट मय ट्रक के लूट के अभियोग में वांछित रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी संदीप लोहार, एस0टी0एफ0 के साथ हुई साहसिक मुठभेड में घायल हुआ, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ।

दिनांकः 29–06–2025 को जनपद बागपत, उ0प्र0 के थाना कोतवाली क्षेत्र में एस0टी0एफ0 एवं थाना कोतवाली, बागपत के साथ संयुक्त कार्यवाही में एक साहसिक मुठभेड़ में ट्रक चालकों की हत्या

करके ट्रक सहित सामान को लूटने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का सरगना तथा जनपद कानपुर नगर के 04 करोड रूपये के निकिल प्लेट मय ट्रक के लूट के अभियोग में वांछित रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी संदीप लोहार घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ।

मृतक अभियुक्त का विवरणः–

संदीप लोहार पुत्र सतवीर निवासी ग्राम भैणी महाराजपुर, थाना महम, जनपद रोहतक, हरियाणा।

मृतक अभियुक्त से बरामदगीः–

1– 01 अदद पिस्टल 32 बोर

2– 01 अदद पिस्टल 7.62 बोर

3– 01 अदद तमंचा 315 बोर

4– 09 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

4– 06 अदद खोखा कारतूस 32 बोर

5– 02 अदद जिन्दा कारतूस 7.62 बोर

6– 02 अदद खोखा कारतूस 7.62 बोर

7– 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

8– 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

9– 01 अदद मोटर साईकिल (यामाहा एफजेड बिना नम्बर की)

01– 01 अदद हैलमेट

12– 01 अदद कपडे का बैग

23– 01 अदद ड्राईविंग लाईसेन्स

13– रू0 5500 नकद ।

घटनास्थल का दिनांक समय/ स्थानः–

दिनांक 29–6–2025 समय लगभग 22.32 बजे, ईस्टर्न पैरिफिरल, थाना कोतवाली, जनपद बागपत क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की

सूंचनाऐं प्राप्त हो रहीं थी, जिसके सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी, एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही पूर्व से की जा रही थी।

अवगत कराना है कि दिनांक 29–06–2025 को एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा पतारसी, सुरागरसी हेतु जनपद बागपत में भ्रमणशील थी तो उसी दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे पर ट्रक लूट कर ड्राइवर की हत्या करने वाले गैंग का सदस्य संदीप लोहार एवं थाना पनकी कानपुर के मु0अ0स0 107/25 में वांछित एक लाख का ईनामी अपराधी अपने साथियों के साथ मिलकर बागपत क्षेत्र के ईस्टर्न पैरिफिरल में घटना करने के लिए सोनिया विहार से यमुना पुश्ते के रास्ते मवीकला में आयेगा।

इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा तत्काल इस सूचना को थाना कोतवाली बागपत पुलिस से साझा किया गया और संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए पुलिस की टीम यमुना पुश्ता पर यमुना नदी की ओर जाने वाले खड़ंजे के पास पहुॅच तो सामने से एक मोटर साईकिल आती दिखाई दी, जिसको रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साईकिल सवार तेज गति से बांये मुडकर यमुना नदी को जाने वाले खडंजे की ओर भागने लगे, जिनका पीछा किया गया तो पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस वालो पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुन्ध फायर किया, जिसमें एस0टी0एफ0 का मुख्य आरक्षी सुनील कुमार घायल हो गया। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग को देखते हुए एसटीएफ टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ एवं जवाबी फायरिंग की गयी, जिसमें एक गोली बदमाश को लगी जो गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश फायर करता हुआ भाग गया। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए घायल बदमाश एवं घायल मुख्य आरक्षी सुनील कुमार को प्राथमिक उपचार हेतु तत्काल जिला चिकित्सालय, बागपत भेजा गया जहॉ पर चिकित्सकों द्वारा घायल बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक बदमाश की शिनाख्त संदीप लोहार पुत्र सतवीर निवासी ग्राम भैणी के रूप में हुई। मौके से भागे बदमाश की तलाश की जा रही है।

मृतक बदमाश संदीप लोहर की उम्र लगभग 36 साल है। मृतक बदमाश संदीप लोहार की आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि यह अभियुक्त थाना महम, रोहतक, हरियाणा का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है, जिसका एच0एस0 नम्बर पीएफ नं0 53 है। मृतक बदमाश संदीप लोहार वर्ष 2009 से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था। इस मृतक अपराधी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर हाईवे पर ट्रक चालको की हत्या करके उनके शव को फेंक देना एवं ट्रक में लदे सामान को लूट लेने जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया है। मृतक बदमाश संदीप लोहार द्वारा की गयी घटनाओं में निम्न घटनाऐं प्रमुख रूप से हैं–

1– दिनांक 23–05–2012 को थाना कालानोर, रोहतक, हरियाणा क्षेत्र में अभियुक्त संदीप लोहार द्वारा ट्रक संख्या एचआर–55–एफ–5986 के चालक कपूर सिंह पुत्र गणेशी राम निवासी ग्राम भैणी, महाराजपुर रोहतक के साथ मिलकर गेटवे रेलफ्रेट लि0 गढी हरस्वरूप गुरूग्राम कम्पनी के ट्रक में लदे स्क्रैब को रास्ते में चोरी की घटना कारित की गयी थी तथा कम्पनी के कर्मचारियों के घटनास्थल पर पहुॅच जाने पर उनके साथ मारपीट की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना कालानोर, रोहतक, हरियाणा पर मु0अ0स0ं 146/12 धारा 120बी/407/379 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।

2– दिनांक 11–05–2013 को थाना सदर हिसार, हरियाणा क्षेत्र में ट्रक चालक जमशेद, जो ट्रक संख्याः एचआर–38–आर–0420 का चालक था, ट्रक में हाई कार्बन फेरोक्रोम भरकर लोनी कंटेनर डिपों से जिन्दल फैक्टरी हिसार लेकर जा रहा था, जिसको रास्ते में ट्रक रोककर चालक जमशेद की हत्या कर शव को बेरी झज्जर के समीप नहर में फेंक दिया था तथा ट्रक में लदे माल को लूटकर खाली ट्रक को जींद, हरियाणा में छोड दिया था। इस घटना में संदीप लोहार के साथ शामिल अभियुक्त मुन्ना से लूट के सामान को लेकर विवाद हुआ था तो संदीप लोहार ने अपने साथी मुन्ना को भी गंडासे से हत्या कर शव को गॉव सिगवां हिसार नहर में फेक दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना सदर, हिसार पर मु0अ0सं0 521/13 धारा 392/302/201/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

3– दिनांक 02–10–2014 को थाना हांसी सदर, रोहतक हरियाणा क्षेत्र में दिलबाग, जो ट्रक संख्या एचआर–56ए–1624 का चालक था, होडल से ट्रक में कच्चा लोहा भरकर हिसार के लिए जा रहा था जिसका ट्रक लूटकर दिलबाग की हत्या कर शव को गॉव गढी के पास इंजीनियरिंग कालेज के सामने खेत में फेक दिया था । इस घटना के सम्बन्ध में थाना हांसी सदर, रोहतक हरियाणा पर मु0अ0सं0 358/14 धारा 392/302/201 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

4– दिनांक 02–01–2014 को थाना पटौदी, गुरूग्राम क्षेत्र में ट्रक चालक दिलबर पुत्र सालिग्राम निवासी रमेहड थाना भवारना, जनपद कॉगडा, हिमाचल प्रदेश, जो ट्रक संख्या एचआर–46एफ–0218 में जीडीयार्ड गढी हरस्वरूप से कंटेनर/ट्रक में कॉपर लोड करके बावल स्थित कैरियर मेडिया कम्पनी जा रहा था, के ट्रक में लदे कॉपर को लूट कर चालक की हत्या कर शव को पटौदी विलासपुर रोड के नजदीक विद्या पंडित के खेत में फेंक दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना पटौदी, गुरूग्राम हरियाणा पर मु0अं0सं0 33/14 धारा 302/201/396 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।

5– वर्ष 2015 में थाना क्षेत्र सदर रोहतक, हरियाणा क्षेत्र में ट्रक चालक संजय पुत्र रामस्नेही के ट्रक संख्या एचआर–38एच–0009 में लदे सिनीकॉल पत्थर को मय ट्रक के लूटकर चालक की हत्या कर शव को ग्राम बहुअकबरपुर के खेत में फेंक दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना सदर रोहतक पर मु0अ0स0ं 460/15 धारा 302/201 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

6– दिनांक 28–08–2016 को ट्रक संख्या एचआर–39–7188 का चालक राजकुमार ट्रक में स्क्रैब लोड करके कोडली सोनीपत से हिसार जा रहा था तो धाणा हांसी बाईपास पर ट्रक के आगे अभियुक्त संदीप लोहार द्वारा अपना वाहन लगाकर ट्रक चालक को बंधक बनाकर उसको रास्ते में छोड दिया था तथा ट्रक में लोड स्क्रैब को ट्रक सहित लूट लिया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना हांसी, सदर पर मु0अ0सं0 358/16 धारा 341/392/452 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

7– दिनांक 16–07–2016 को थाना राजेन्द्र पार्क गुरूग्राम, हरियाणा क्षेत्र में महेश रावत निवासी किरन गार्डन उत्तम नगर, दिल्ली को ग्राम चंदू के नजदीक गुलमोहर होटल के समीप उसकी स्कोडा गाडी में टक्कर मारकर गाडी रूकवा ली गयी और हथियार दिखाकर उसके पास मौजूद सामान गाड़ी सहित लूट लिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना राजेन्द्र पार्क पर मु0अ0स0ं 268/16 धारा 379/341 भादवि एवं 25/54/59 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

8– दिनांक 24–12–2016 को थाना क्षेत्र हांसी सदर में लूट की योजना बनाकर घटना कारित करने के प्रयास के दौरान थाना हांसी पुलिस द्वारा मौके से अभियुक्तों से हथियार एंव लूट का सामान बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना हांसी पर मु0अ0स0ं 523/16 धारा 398/401 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

9– दिनांक 12–01–2023 को महम रोहतक, हरियाणा पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप लोहार को रोहतक से हांसी जाने वाली निर्माणाधीन रेलवे लाइन की चोरी की गयी पटरियो के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस 900 करोड़ रूपये के निर्माणाधीन रेलवे प्रोजेक्ट के अभियुक्त संदीप के गॉव के समीप से गुजरने वाली रेलवे लाइन का बडा हिस्सा काट कर संदीप एवं उसके गैग द्वारा चोरी किया गया था और मंडी गोविन्दगढ पंजाब में बेच दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना आरपीएफ रोहतक पर मु0अ0सं0 01/23 धारा 3आरपी(यूपी) रेलवे एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

10– दिनांक 16–03–2025 को कानुपर लॉजिस्टिक पार्क प्रा0लि0 थाना क्षेत्र पनकी कानपुर से कंटेनर में भरे 23.8 टन निकिल प्लेट, जिसकी कीमत लगभग 04 करोड रूपये है, को चोरी की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में थाना पनकी कानपुर नगर पर मु0अ0सं0 107/25 धारा 305ए/317(2), 111(4)(5), 62(2)क बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत है।

मृतक बदमाश संदीप लोहर, थाना कानपुर नगर के मु0अ0सं0 107/25 धारा 305ए/317(2), 111(4)(5), 62(2)क बी0एन0एस0 के अभियोग में वांछित एवं फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, कानुपर नगर के पत्र संख्याः डीसीआरबी–पु0घो0/2025/पु0आ0 दिनांक04–06–2025 के द्वारा रूपया 1,00,000/– (एक लाख) का पुरस्कार घोषित किया गया था। मृतक बदमाश संदीप लोहार की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

मृतक अभियुक्त संदीप लोहार, उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गई छानबीन से निम्नवत् आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	47/09	395/397/506/309 भादवि	सदर हांसी	रोहतक हरियाणा
2	146/12	120बी/407 भादवि	कालानोर	रोहतक हरियाणा
3	521/13	392/302/201/34 भादवि	सदर हिसार	हरियाणा
4	33/14	302/201 भादवि	PATAUDI	गुरूग्राम हरियाणा
5	358/14	392/302/201/452 भादवि	सदर हांसी	हिसार हरियाणा
6	460/15	302/201 भादवि	सदर रोहतक	हरियाणा

7	268/16	379/341/ भादवि एवं 25/54/59 आर्म्स एक्ट	राजेन्द्र पार्क	गुरूग्राम हरियाणा
8	358/16	341/392/412/302 भादवि	सदर हांसी	हिसार हरियाणा
9	523/16	398/401 भादवि एवं 25/54/59 आर्म्स एक्ट	सदर हांसी	हिसार हरियाणा
10	32/18	42 Prisions Act	भौड़सी	हरियाणा
11	582/21	323/34/341/506 भादवि	महम	रोहतक हरियाणा
12	549/22	25 आर्म्स एक्ट	सदर जीन्द	हरियाणा
13	01/23	379 भादवि एवं 3 आरपी(यूपी) रेलवे एक्ट	आरपीएफ रोहतक	हरियाणा
14	18/23	380/457 भादवि	महम	रोहतक हरियाणा
15	23/23	379 भादवि	महम	रोहतक हरियाणा
16	17/24	148/149/323/506 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	लाख माजरा	रोहतक हरियाणा
17	32/24	148/149/323/506 भादवि एवं एस0सी0/एसटी एक्ट	महम	रोहतक हरियाणा
18	49/24	279/336/337 भादवि	लाख माजरा	रोहतक हरियाणा
19	50/24	160/283/427 भादवि	महम	रोहतक हरियाणा
20	107/25	305ए/317(2), 111(4), 61(2)क बीएनएस	पनकी	कानपुर नगर
21	374/25	309 बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट	को0 बागपत	बागपत

उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद बागपत पर मु0अ0स0 374/25 धारा 309 बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना दशाश्वमेध</u>

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के माल बिक्री के 01 लाख 68 हजार 20 रूपये नगद
- 01 अवैध तमंचा आदि बरामद

दिनांक 30.06.2025 को थाना दशाश्वमेध पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शीतला घाट हवा गली खण्डहर के पास से अभियुक्त शोभित डे उर्फ हर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त

के कब्जे से लूट के माल बिक्री के 01 लाख 68 हजार 20 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.06.2025 को थाना दशाश्वमेध क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दशाश्वमेध पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दशाश्वमेध पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शोभित डे उर्फ हर्ष निवासी खालिसपुरा दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–लूट के माल बिक्री के 01 लाख 68 हजार 20 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मडियांव

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 13 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 30.06.2025 को थाना मडियांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अल्लूनगर डुगरिया जाने वाले रास्ते से 03 अभियुक्तों 1–दिलीप 2–अली हुसैन उर्फ सूफियान 3–शाहिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शाहिद के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त अली हुसैन उर्फ सूफियान के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मडियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिलीप निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

2–अली हुसैन उर्फ सूफियान निवासी मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

3–शाहिद निवासी ग्राम महराजनगर थाना तालगांव बिसवां जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी की 13 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 108 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद

दिनांक 30.06.2025 को थाना फेस–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बड़ा पार्क निम्मी बिहार सेक्टर–88 के पास से 04 अभियुक्तों 1–अब्दुल्ला 2–सोवान 3–शाबान हसन 4–समीर हसन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 108 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अब्दुल्ला निवासी वैसरेड़ी थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

2–सोवान निवासी वैसरेड़ी थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

3–शाबान हसन निवासी महमूदनगर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

4–समीर हसन निवासी महमूदनगर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 108 किलोग्राम अवैध गांजा।

- जनपद बागपत/थाना छपरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/149/147 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अमरपाल उर्फ कालू 2–वीरसैन 3–शास्त्री उर्फ धर्मदत्त 4–मुशर्रफ को आजीवन कारावास व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————